भारत सरकार संचार मंत्रालय डाक विभाग

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *240 उत्तर देने की तारीख 04 अगस्त, 2021

ग्रामीण डाक सेवक

*240. श्री सी. एन. अन्नादुरई : श्री धनुष एम. कुमार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) देश में वर्तमान में नियोजित ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) की तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
- (ख) क्या देश में ग्रामीण डाक सेवकों की कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्रामीण डाक सेवकों के रिक्त पदों की संख्या तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है;
- (ग) क्या ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं ग्रामीण लोगों के लिए लाभदायी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन/पारिश्रमिक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वृद्धि नहीं की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं:
- (ङ) क्या सरकार ने ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन ढांचे, सेवा संबंधी अन्य मामलों और उनकी समस्याओं की जांच करने के लिए कोई समिति गठित की थी यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं; और
- (च) क्या सरकार ने उक्त समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च) विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

"ग्रामीण डाक सेवक" के संबंध में दिनांक 04.08.2021 के लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 240 के उत्तर के भाग (क) से (च) के संदर्भ में लोक सभा के पटल पर रखे जाना वाला विवरण

- (क) तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र सिहत देशभर में वर्तमान में नियोजित ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) कार्मिकों की संख्या 2,37,441 है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-। में प्रदान किया गया है।
- (ख) देशभर में जीडीएस वर्ग में विभिन्न कारणों से सतत आधार पर रिक्तियां उत्पन्न होती रहती हैं। इन कारणों में, ग्रामीण डाक सेवकों के 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवामुक्त होना, मृत्यु, स्वैच्छिक सेवामुक्ति, कार्यबल में कटौती तथा पदोन्नित होने पर विभाग में आमेलन आदि शामिल हैं। जीडीएस कार्मिकों के रिक्त पदों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा, जिसमें तिमलनाडु एवं महाराष्ट्र भी शामिल हैं, अनुबंध-।। में प्रदान किया गया है। जीडीएस वर्ग में रिक्तियों का भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है, जिसे निर्धारित जीडीएस ऑनलाइन नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से पूरा किया जाता है।
- (ग) जी, हां। ग्रामीण डाक सेवक विविध प्रकार की मेल एवं वित्तीय सेवाएं मुहैया कराते हैं, जो ग्रामीण जन की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और उनके लिए लाभदायी हैं। इन सेवाओं में अन्य कार्यों के साथ-साथ ग्रामीण शाखा डाकघरों का संचालन तथा डाक-टिकटों की बिक्री, स्पीड पोस्ट सिहत डाक-वस्तुओं की बुकिंग एवं डिलिवरी, ई-मनीऑर्डरों की बुकिंग एवं डिलिवरी, सुकन्या समृद्धि योजना सिहत विभिन्न डाकघर बचत योजनाओं तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा और डाक जीवन बीमा योजनाओं से संबंधित सभी लेन-देन कार्य और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सेवाएं जैसे द्वार पर बैंकिंग सेवा, बैंक खातों से एईपीएस आधारित आहरण तथा डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करना आदि कार्य भी शामिल हैं।
- (घ) जी, नहीं। ग्रामीण डाक सेवक वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते। ग्रामीण डाक सेवक सिविल पदधारी हैं परंतु नियमित सिविल सेवा के दायरे से बाहर हैं। अत:, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें, जीडीएस कार्मिकों पर लागू नहीं होती। जीडीएस कार्मिक प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे तथा अधिकतम 5 घंटे के लिए कार्य करते हैं। यह कार्य अंशकालिक स्वरूप का है और इसके लिए उन्हें समय संबद्घ निरंतरता भत्ता (टीआरसीए) प्रदान किया जाता है।
- (इ.) जी, हां। ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) की सेवा शर्तों तथा उन्हें प्रदान की जाने वाली परिलिब्धियों तथा अन्य सुविधाओं की जांच हेतु भारत सरकार द्वारा संकल्प सं. 17-13/2013- जीडीएस दिनांक 19 नवंबर, 2015 के तहत कमलेश चंद्र समिति का गठन किया गया था। समिति के समक्ष रखे गए विचाराधीन विषयों में निम्नलिखित शामिल थे :-

- शाखा डाकघरों की प्रणाली, ग्रामीण डाक सेवक कार्मिकों की नियोजन संबंधी शर्तों और उन्हें प्रदान किए जाने वाले पारिश्रमिक एवं परिलब्धियों के मौजूदा ढांचे की जांच करना तथा उनमें आवश्यक परिवर्तनों संबंधी स्झाव देना;
- जीडीएस कार्मिकों की मौजूदा सेवामुक्ति हितलाभ योजना/अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों की समीक्षा तथा उनमें आवश्यक परिवर्तनों संबंधी सुझाव देना;
- iii. ग्रामीण डाक सेवक कार्मिकों को प्रदान की जाने वाली मौजूदा सुविधाओं/कल्याणकारी उपायों की समीक्षा उनमें आवश्यक परिवर्तनों संबंधी स्झाव देना;
- iv. ग्रामीण डाकघरों में प्रौद्योगिकी के प्रस्तावित समावेशन को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए भर्ती की प्रक्रिया, ग्रामीण डाक सेवक कार्मिकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता और आचरण एवं अनुशासनिक नियमावली की समीक्षा करना तथा उसमें किसी परिवर्तन हेतु सुझाव देना।

समिति ने अपनी रिपोर्ट 24.11.2016 को प्रस्तुत की। प्रमुख सिफारिशों का ब्यौरा अनुबंध-।।। में प्रदान किया गया है।

(च) समिति की प्रमुख सिफारिशें विभाग द्वारा स्वीकार कर कार्यान्वित कर दी गई हैं। कुछेक सिफारिशें, सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार सिहत अन्य कारणों से तथा कुछेक अन्य सिफारिशें, सरकार के नीतिगत संबंधी दिशा-निर्देशों से भिन्न होने के कारण स्वीकार नहीं की गई हैं। विवरण अनुबंध-IV में प्रदान किया गया है।

<u>" ग्रामीण डाक सेवक" विषय पर दिनांक 04.08.2021 के लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 240 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुबंध</u>

तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित देशभर में वर्तमान में नियोजित जीडीएस कार्मिकों की संख्या का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है :-

राज्य का नाम	वर्तमान में नियोजित ग्रामीण डाक सेवक कार्मिकों की संख्या
आंध्र प्रदेश	16001
अरुणाचल प्रदेश	413
असम	6878
बिहार	14221
छत्तीसगढ़	6203
गोवा	318
गुजरात	12861
हरियाणा	3449
हिमाचल प्रदेश	5702
झारखंड	5961
कर्नाटक	13141
केरल	9303
मध्य प्रदेश	11808
महाराष्ट्र	17591
मेघालय	877
मणिप्र	1787
मिजोरम	962
नगार्लंड	783
ओड़िशा	15277
पंजाब <u> </u>	5557
राजस्थान	13086
सिक्किम	408
तमिलनाडु	18959
तेलंगाना	8174
त्रिपुरा	1083
उत्तर प्रदेश	22689
उत्तराखंड	5272
पश्चिम बंगाल	15973
कुल	2,34,737

वर्तमान में नियोजित जीडीएस कार्मिकों की संख्या का संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण निम्नानुसार है :-

संघ राज्यक्षेत्र का नाम	वर्तमान में नियोजित ग्रामीण डाक सेवक कार्मिकों की
	संख्या
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	140
चंडीगढ़	32
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं	76
दीव	
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	146
जम्मू एवं कश्मीर	2044
लद्दाख	127
लक्षद्वीप	09
पुदुच्चेरी	130
कुल	2704
कुल योग (234737+2704) =	2,37,441

<u>"ग्रामीण डाक सेवक" विषय पर दिनांक 04.08.2021 के लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 240 के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित अनुबंध</u>

जीडीएस कार्मिकों के रिक्त पदों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा, जिसमें तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र भी शामिल हैं, निम्नानुसार है :-

राज्य का नाम	ग्रामीण डाक सेवकों के रिक्त पद
आंध्र प्रदेश	3204
अरुणाचल प्रदेश	164
असम	2089
बिहार	1940
छत्तीसगढ़	1959
गोवा	74
गुजरात	3868
हरियाणा	1012
हिमाचल प्रदेश	962
झारखंड	2582
कर्नाटक	3572
केरल	2899
मध्य प्रदेश	4761
महाराष्ट्र	4819
मेघालय	284
मणिपुर	44
मिजोरम	129
नगालैंड	91
ओड़िशा	3253
पंजाब	1173
राजस्थान	3246
सिक्किम	99
तमिलनाडु	4691
तेलंगाना	3147
त्रिपुरा	603
उत्तर प्रदेश	14519
उ त्तराखंड	1377
पश्चिम बंगाल	5647
कुल	72,208

जीडीएस कार्मिकों के रिक्त पदों की संख्या का संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

संघ राज्यक्षेत्र का नाम	ग्रामीण डाक सेवकों के रिक्त पद
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	74
चंडीगढ़	19
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं	23
दीव	
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	352
जम्मू एवं कश्मीर	716
लद्दाख	19
लक्षद्वीप	0
पुदुच्चेरी	41
कुल	1244
कुल योग (72,208+1244)	73,452

ग्रामीण डाक सेवकों के संबंध में 04.08.2021 के लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 240 के भाग (इ.) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

कमलेश चंद्र समिति की रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों का सार

1. समय संबद्घ निरंतरता भत्ते (टीआरसीए) के भुगतान की पुरानी प्रणाली समाप्त कर उसके स्थान पर पारिश्रमिक भुगतान के एक नए ढांचे का प्रावधान किए जाने की सिफारिश की गई है। इस नए पारिश्रमिक भुगतान ढांचे के अंतर्गत 11 टीआरसीए स्लैबों को मिलाकर 3 पारिश्रमिक वेतनमान बनाए जाने की सिफारिश की गई है। इनमें से दो-दो वेतनमान स्तर शाखा पोस्टमास्टर (बीपीएम) तथा बीपीएम से इतर कार्मिकों के लिए और एक वेतनमान दोनों श्रेणियों के जीडीएस कार्मिकों के लिए समान रखे जाने की सिफारिश की गई है।

सुझाया गया नया पारिश्रमिक वेतनमान

- क. 10,000 24,470/- (बीपीएम स्तर-1 से इतर)
- ख. 12,000 29,380 (बीपीएम स्तर 2 एवं बीपीएम स्तर 1 से इतर)
- ग. 14,500 35,480/- (बीपीएम स्तर 2)
- 2. ग्रामीण डाक सेवक डाकघरों तथा ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) कार्मिकों की न्यूनतम कार्याविध को 3 घंटे से बढ़ाकर 4 घंटे किए जाने की सिफारिश की गई है।
- 3. जीडीएस डाकघरों की नई कार्याविध 4 घंटे तथा 5 घंटे की जाने की सिफारिश की गई है।
- 4. स्तर-1 तथा स्तर-2 के जीडीएस डाकघरों/जीडीएस कार्मिकों की नई कार्यावधि क्रमश: 4 घंटे तथा 5 घंटे किए जाने की सिफारिश की गई है।
- 5. शाखा पोस्टमास्टरों (बीपीएम) के कार्यभार का आकलन किए जाने हेतु प्रयुक्त प्वाइंट प्रणाली समाप्त किए जाने की सिफारिश की गई है।
- 6. पारिश्रमिक भुगतान की नई प्रणाली को जीडीएस डाकघरों द्वारा अर्जित राजस्व से जोड़े जाने की सिफारिश की गई है। इस नई प्रणाली के अंतर्गत, यह प्रस्ताव दिया गया है कि स्तर-1 से स्तर-2 तक के शाखा पोस्टमास्टरों (बीपीएम) के पारिश्रमिक में वृद्धि, कार्यभार के आधार पर नहीं होगी। यह वृद्धि, निर्धारित राजस्व मानदंडों को

- प्राप्त कर लेने के आधार पर किए जाने की सिफारिश की गई है। ये राजस्व मानदंड, सामान्य क्षेत्रों के लिए 100% तथा विशेष क्षेत्रों के लिए 50% निर्धारित किए जाएंगे, जबिक फिलहाल प्रत्याशित आय मानदंड 15% हैं।
- 7. ऐसे जीडीएस डाकघर, जो नियत कार्याविध में निर्धारित मानदंड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें प्रतिदिन, नियत कार्याविध से न्यूनतम 30 मिनट अधिक अविध के लिए खुले रखने की सिफारिश की गई है।
- 8. निर्धारित मानदंडों से अधिक राजस्व प्राप्त करने में सफल होने वाले जीडीएस शाखा पोस्टमास्टरों (बीपीएम) को स्तर-2 के पारिश्रमिक के अतिरिक्त 10% राजस्व संबद्ध पारिश्रमिक का भ्गतान किए जाने की सिफारिश की गई है।
- 9. राजस्व अर्जन के मानदंडों के आधार पर जीडीएस डाकघरों को 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाने की सिफारिश की गई है। 'क' श्रेणी के जीडीएस डाकघरों द्वारा 100% राजस्व मानदंड प्राप्त किए जाने चाहिएं। समिति ने जीडीएस डाकघरों की प्रत्येक श्रेणी के संबंध मे कतिपय कार्रवाइयों की सिफारिश की है।
- 10.जीडीएस की 6 अनुमोदित श्रेणियों को मिलाकर केवल 2 श्रेणियां बनाए जाने की सिफारिश की गई है। एक श्रेणी में शाखा पोस्टमास्टरों को रखे जाने तथा शेष सभी 5 श्रेणियों के जीडीएस कार्मिकों को मिलाकर एक मल्टी-टॉस्किंग वर्ग में शामिल किए जाने की सिफारिश की गई है।
- 11. मल्टी-टास्किंग जीडीएस कार्मिकों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के दायरे का विस्तार कर इसमें व्यवसाय विकास तथा विपणन आदि जैसे कार्य शामिल किए जाने की सिफारिश की गई है। उनका कार्य, उनके पुराने पदनाम तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। राजस्व अर्जन में बढ़ोतरी हेतु सहायक शाखा पोस्टमास्टर को शाखा पोस्टमास्टर (बीपीएम) का सहयोग करना चाहिए।
- 12.जीडीएस डाकघरों में कार्यरत जीडीएस कार्मिकों को सहायक शाखा पोस्टमास्टर (एबीपीएम) तथा विभागीय डाकघरों में कार्यरत जीडीएस कार्मिकों को डाक सेवक (डीएस) कहे जाने की सिफारिश की गई है।
- 13.न्यूनतम पारिश्रमिक को बढ़ाकर 10,000/- रु. प्रतिमाह किए जाने तथा अधिकतम वेतन को 35,480/- रु. प्रतिमाह किए जाने की सिफारिश की गई है।
- 14.वार्षिक वृद्धि की दर 3% करने की सिफारिश की गई है।
- 15.पहली बार एक समेकित भत्ते की सिफारिश की गई है। यह भत्ता, जीडीएस डाकघरों के लिए भवन किराए पर लेने के साथ-साथ निवास स्थान की अनिवार्य शर्त को पूरा

- करने, कार्यालय के रख-रखाव, मोबाइल और बिजली पर होने वाले खर्च आदि हेतु सहायता राशि के रूप में प्रदान किया जाएगा।
- 16.जीडीएस कार्मिकों के लिए 6000/- रु. प्रतिवर्ष प्रति संतान, संतान शिक्षा भत्ता प्रदान किए जाने की सिफारिश की गई है।
- 17.विशेष क्षेत्रों में कार्यरत जीडीएस कार्मिकों के लिए 500/- रु. प्रतिमाह जोखिम तथा कठिनाई भत्ते की सिफारिश भी की गई है।
- 18.दो अग्रिम अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि के रूप में 12 वर्ष, 24 वर्ष तथा 36 वर्ष की सेवा पूरी होने पर वित्तीय उन्नयन के प्रावधान की सिफारिश की गई है।
- 19.अनुग्रह उपदान की सीमा को 60,000/- रु. से बढ़ाकर 5,00,000/- रु. किए जाने की सिफारिश की गई है।
- 20. सेवामुक्ति हितलाभ योजना (एसडीबीएस) के अंतर्गत, जीडीएस कार्मिकों के अंशदान की सीमा को बढ़ाकर मासिक पारिश्रमिक का न्यूनतम 3% और अधिकतम 10% करने की सिफारिश की गई है। जबिक, विभाग द्वारा किए जाने वाला नियत अंशदान, जीडीएस कार्मिकों के मूल पारिश्रमिक का 3% ही होगा।
- 21.जीडीएस समूह बीमा योजना के अंतर्गत प्रदत्त बीमा कवर की राशि को 50,000/- रु. से बढ़ाकर 5,00,000/- रु. किए जाने की सिफारिश की गई है।
- 22. सर्कल कल्याण निधि (सीडब्ल्यूएफ) के अंतर्गत विभाग के अंशदान को 100/- रु. प्रति वर्ष से बढ़ाकर 300/- रु. प्रति वर्ष किए जाने की सिफारिश की गई है।
- 23.सर्कल कल्याण निधि के दायरे का विस्तार कर इसमें करीबी पारिवारिक सदस्य, जैसेकि पति/पत्नी, पुत्रियों, पुत्रों और आश्रित पुत्रवधुओं को भी शामिल किए जाने की सिफारिश की गई है।
- 24.सिमिति ने सर्कल कल्याण निधि के अंतर्गत वित्तीय अनुदान और सहायता की निर्धारित सीमा में 10% की बढ़ोतरी किए जाने की भी सिफारिश की है।
- 25.सिमिति ने सर्कल कल्याण निधि के अंतर्गत ''कम ब्याज दर (5%) वाले ऋण के रूप में वित्तीय सहायता'' लेखा शीर्ष के तहत टैबलेट/मोबाइल की खरीद के लिए 10,000/- रु. की अतिरिक्त राशि का प्रावधान करने की सिफारिश की है।
- 26.मिहला जीडीएस कार्मिकों के लिए 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश के प्रावधान की सिफारिश की गई है।
- 27.मातृत्व अवकाश की संपूर्ण अविध के दौरान पारिश्रमिक का भुगतान उसी वेतन शीर्ष के अंतर्गत किए जाने की सिफारिश की गई है, जिसके (लेखा शीर्ष) तहत जीडीएस कार्मिकों को पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।
- 28.समिति ने एक सप्ताह के पितृत्व अवकाश की भी सिफारिश की है।
- 29.समिति ने प्रतिवर्ष 5 दिन के आकस्मिक अवकाश की भी सिफारिश की है।
- 30.180 दिन तक के अवकाश को जमा करने तथा इसे भुनाने (छुट्टी के बदले नकद भुगतान) की सुविधा प्रारंभ करने की सिफारिश की गई है।

- 31.नियोजन की ऑनलाइन प्रणाली प्रारंभ करने की सिफारिश की गई है।
- 32.जीडीएस कार्मिकों की सीधी भर्ती के लिए अधिकतम 50 वर्ष की आयु सीमा को समाप्त किए जाने की सिफारिश की गई है।
- 33.विभागीय संवर्ग जैसे एमटीएस/पोस्टमैन/मेल गार्ड हेतु सीधी भर्ती के लिए जीडीएस के रूप में न्यूनतम एक वर्ष की सेवा हेतु सिफारिश की गई है।
- 34.जीडीएस कार्मिकों के नियोजन हेतु जीवनयापन के वैकल्पिक स्रोत की अनिवार्य शर्त को शिथिल किए जाने की सिफारिश की गई है।
- 35.स्वैच्छिक सेवाम्कित की योजना की सिफारिश की गई है।
- 36. सेवामुक्ति की आयु 65 वर्ष ही रखे जाने की सिफारिश की गई है।
- 37.पुरूष जीडीएस कार्मिकों के लिए सीमित स्थानान्तरण सुविधा को 1 बार से बढ़ाकर 3 बार किए जाने की सिफारिश की गई है। महिला जीडीएस कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु मिलने वाले अवसरों की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। स्थानान्तरण संबंधी अधिकार, संबंधित डिवीजनल प्रमुख को प्रदान किए जाने की सिफारिश की गई है।
- 38.पुट ऑफ अविध के दौरान अनुग्रह भुगतान की राशि को भत्ते के 25% से बढ़ाकर 35% करने तथा पुट ऑफ अविध के ठीक पहले के मंहगाई भत्ते तक करने की सिफारिश की गई है।
- 39.समिति ने जीडीएस कार्मिकों को पुटऑफ ड्यूटी करने की जगह पहले उन्हें स्थानान्तरित किए जाने की सिफारिश की है।
- 40.जीडीएस कार्मिकों की अनुकंपा नियुक्ति संबंधी शर्तों को इस प्रकार शिथिल करने की सिफारिश की गई है ताकि किसी जीडीएस कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने की स्थिति में पात्र आश्रितों को लाभ दिया जा सके।

ग्रामीण डाक सेवकों के संबंध में 04.08.2021 के लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 240 के उत्तर के भाग (च) में संदर्भित अनुबंध

कार्यान्वित की गई, कार्यान्वित नहीं की गई तथा जांच के अधीन सिफारिशों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

प्रमुख सिफारिशों का सार-संक्षेप	कार्यान्वित/कार्यान्वित	कार्यान्वित	नहीं
	नहीं की गई	किए जाने	का/के
		कारण	
समय संबद्ध निरंतरता भत्ते (टीआरसीए) के			
भुगतान की पुरानी प्रणाली समाप्त कर उसके			
स्थान पर पारिश्रमिक भुगतान के एक नए ढांचे	कार्यान्वित		
का प्रावधान किए जाने की सिफारिश की गई			
है। इस नए पारिश्रमिक भुगतान ढांचे के			
अंतर्गत 11 टीआरसीए स्लैबों को मिलाकर 3			
पारिश्रमिक वेतनमान बनाए जाने की सिफारिश			
की गई है। इनमें से दो-दो वेतनमान स्तर			
शाखा पोस्टमास्टर (बीपीएम) तथा बीपीएम से			
इतर कार्मिकों के लिए और एक वेतनमान दोनों			
श्रेणियों के जीडीएस कार्मिकों के लिए समान			
रखे जाने की सिफारिश की गई है।			
स्झाया गया नया पारिश्रमिक वेतनमान			
3,			
10,000 – 24,470/- (बीपीएम स्तर-1 से इतर)			
12,000 - 29,380 (बीपीएम स्तर 2 एवं			
बीपीएम स्तर 1 से इतर)			
14,500 – 35,480/- (बीपीएम स्तर 2)			
1,,000 00, 100/ (-11 110) ((11 2)			

ग्रामीण डाक सेवक डाकघरों तथा ग्रामीण डाक	कार्यान्वित	
सेवकों (जीडीएस) की न्यूनतम कार्यावधि को 3		
घंटे से बढ़ाकर 4 घंटे किए जाने की सिफारिश		
की गई है।		
जीडीएस डाकघरों की नई कार्यावधि 4 घंटे तथा	कार्यान्वित	
5 घंटे की जाने की सिफारिश की गई है।		
स्तर-1 तथा स्तर-2 के जीडीएस डाकघरों/	कार्यान्वित	
जीडीएस कार्मिकों की नई कार्याविध क्रमश: 4	44.	
घंटे तथा 5 घंटे किए जाने की सिफारिश की		
गई है।		
शाखा पोस्टमास्टरों (बीपीएम) के कार्यभार का		
आकलन किए जाने हेत् प्रयुक्त प्वाइंट प्रणाली	कार्यान्वित नहीं	जांच की जा रही
समाप्त किए जाने की सिफारिश की गई है।		है।
पारिश्रमिक भुगतान की नई प्रणाली को		
जीडीएस डाकघरों द्वारा अर्जित राजस्व से जोड़े	कार्यान्वित नहीं	जांच की जा रही है।
जाने की सिफारिश की गई है। इस नई प्रणाली		61
के अंतर्गत, यह प्रस्ताव दिया गया है कि स्तर-		
1 से स्तर-2 तक के शाखा पोस्टमास्टरों		
(बीपीएम) के पारिश्रमिक में वृद्धि, कार्यभार के		
आधार पर नहीं होगी। यह वृद्धि, निर्धारित		
राजस्व मानदंडों को प्राप्त कर लेने के आधार		
पर किए जाने की सिफारिश की गई है। ये		
राजस्व मानदंड, सामान्य क्षेत्रों के लिए 100%		
तथा विशेष क्षेत्रों के लिए 50% निर्धारित किए		
जाएंगे, जबकि फिलहाल प्रत्याशित आय मानदंड		
15% हैं।		
ऐसे जीडीएस डाकघर, जो नियत कार्यावधि में		
निर्धारित मानदंड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं,	कार्यान्वित नहीं	जांच की जा रही
_		है।
उन्हें प्रतिदिन, नियत कार्याविध से न्यूनतम 30		

मिनट अधिक अवधि के लिए खुले रखने की		
सिफारिश की गई है।		
निर्धारित मानदंड से अधिक राजस्व प्राप्त करने	कार्यान्वित नहीं	जांच की जा रही
में सफल होने वाले जीडीएस शाखा		है।
पोस्टमास्टरों (बीपीएम) को स्तर-2 के		
पारिश्रमिक के अतिरिक्त 10% राजस्व संबद्ध		
पारिश्रमिक का भुगतान किए जाने की		
सिफारिश की गई है।		
राजस्व अर्जन के मानदंडों के आधार पर	कार्यान्वित नहीं	जांच की जा रही
जीडीएस डाकघरों को 'क', 'ख', 'ग' और 'घ'		है।
श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाने की सिफारिश की		
गई है। 'क' श्रेणी के जीडीएस डाकघरों द्वारा		
100% राजस्व मानदंड प्राप्त किए जाने		
चाहिएं। समिति ने जीडीएस डाकघरों की प्रत्येक		
श्रेणी के संबंध में कतिपय कार्रवाइयों की		
सिफारिश की है।		
जीडीएस की 6 अनुमोदित श्रेणियों को मिलाकर	कार्यान्वित	
केवल 2 श्रेणियां बनाए जाने की सिफारिश की		
गई है। एक श्रेणी में शाखा पोस्टमास्टरों को		
रखे जाने तथा शेष सभी 5 श्रेणियों के जीडीएस		
कार्मिकों को मिलाकर एक मल्टी-टॉस्किंग वर्ग		
में शामिल किए जाने की सिफारिश की गई है।		
मल्टी-टास्किंग जीडीएस कार्मिकों द्वारा किए	कार्यान्वित	
जाने वाले कार्यों के दायरे का विस्तार कर		
इसमें व्यवसाय विकास तथा विपणन आदि जैसे		
कार्य शामिल किए जाने की सिफारिश की गई		
है। उनका कार्य, उनके पुराने पदनाम तक ही		
सीमित नहीं रहना चाहिए। राजस्व अर्जन में		
बढ़ोतरी हेतु सहायक शाखा पोस्टमास्टर को		

शाखा पोस्टमास्टर (बीपीएम) का सहयोग करना	
चाहिए।	
जीडीएस डाकघरों में कार्यरत जीडीएस कार्मिकों	कार्यान्वित
को सहायक शाखा पोस्टमास्टर (एबीपीएम)	
तथा विभागीय डाकघरों में कार्यरत जीडीएस	
कार्मिकों को डाक सेवक (डीएस) कहे जाने की	
सिफारिश की गई है।	
न्यूनतम पारिश्रमिक को बढ़ाकर 10,000/- रु.	कायाान्वत
प्रतिमाह किए जाने तथा अधिकतम वेतन को	
35,480/- रु. प्रतिमाह किए जाने की सिफारिश	
की गई है।	
वार्षिक वृद्धि की दर 3% करने की सिफारिश	कार्यान्वित
की गई है।	
וא קוי פוי	
पहली बार एक समेकित भत्ते की सिफारिश की	कार्यान्वित
गई है। यह भत्ता, जीडीएस डाकघरों के लिए	
भवन किराए पर लेने के साथ-साथ निवास	
स्थान की अनिवार्य शर्त को पूरा करने,	
कार्यालय के रख-रखाव, मोबाइल और बिजली	
पर होने वाले खर्च आदि हेत् सहायता राशि के	
रूप में प्रदान किया जाएगा।	
जीडीएस कार्मिकों के लिए 6000/- रु. प्रतिवर्ष	कार्यान्वित
प्रति संतान, संतान शिक्षा भत्ता प्रदान किए	
जाने की सिफारिश की गई है।	
विशेष क्षेत्रों में कार्यरत जीडीएस कार्मिकों के	autica a
	कायाान्वत
लिए 500/- रु. प्रतिमाह जोखिम तथा	
किठनाई भत्ते की सिफारिश भी की गई है।	

दो अग्रिम अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि के रूप में 12 वर्ष, 24 वर्ष तथा 36 वर्ष की सेवा पूरी होने पर वित्तीय उन्नयन के प्रावधान की सिफारिश की गई है।	कार्यान्वित नहीं	जांच की जा रही है।
अनुग्रह उपदान की सीमा को 60,000/- रु. से बढ़ाकर 5,00,000/- रु. किए जाने की सिफारिश की गई है। सेवा मुक्ति हितलाभ योजना (एसडीबीएस) के अंतर्गत, जीडीएस कार्मिकों के अंशदान की सीमा को बढ़ाकर मासिक पारिश्रमिक का न्यूनतम 3% और अधिकतम 10% करने की सिफारिश की गई है। जबिक, विभाग द्वारा किए जाने वाला नियत अंशदान, जीडीएस कार्मिकों के मूल पारिश्रमिक का 3% ही होगा।	अधिकतम सीमा को बढ़ा कर 1.5 लाख कर दिया गया है। कार्यान्वित। जीडीएस कार्मिकों के अंशदान को 200/- रु. से बढ़ाकर 300/- रु. कर दिया गया है और सरकार की ओर	
जीडीएस समूह बीमा योजना के अंतर्गत प्रदत्त बीमा कवर की राशि को 50,000/- रु. से बढ़ाकर 5,00,000/- रु. किए जाने की सिफारिश की गई है। सर्कल कल्याण निधि (सीडब्ल्यूएफ) के अंतर्गत विभाग के अंशदान को 100/- रु. प्रति वर्ष से बढ़ाकर 300/- रु. प्रति वर्ष किए जाने की सिफारिश की गई है।		जांच की जा रही है। जांच की जा रही है।
सर्कल कल्याण निधि के दायरे का विस्तार कर इसमें करीबी पारिवारिक सदस्य, जैसेकि पति/पत्नी, पुत्रियों, पुत्रों और आश्रित पुत्रवधुओं को भी शामिल किए जाने की सिफारिश की गई है। समिति ने सर्कल कल्याण निधि के अंतर्गत		जांच की जा रही है। जांच की जा रही

वित्तीय अनुदान और सहायता की निर्धारित सीमा में 10% की बढ़ोतरी किए जाने की भी सिफारिश की है।		है।
समिति ने सर्कल कल्याण निधि के अंतर्गत "कम ब्याज दर (5%) वाले ऋण के रूप में वित्तीय सहायता" लेखा शीर्ष के तहत टैबलेट/मोबाइल की खरीद के लिए 10,000/- रु. की अतिरिक्त राशि का प्रावधान करने की सिफारिश की है।	कार्यान्वित नहीं	जांच की जा रही है।
महिला जीडीएस कार्मिकों के लिए 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश के प्रावधान की सिफारिश की गई है।	~ ~ .	
मातृत्व अवकाश की संपूर्ण अवधि के दौरान पारिश्रमिक का भुगतान उसी वेतन शीर्ष के अंतर्गत किए जाने की सिफारिश की गई है, जिसके (लेखा शीर्ष) तहत जीडीएस कार्मिकों को पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।	कार्यान्वित	
समिति ने एक सप्ताह के पितृत्व अवकाश की भी सिफारिश की है।	कार्यान्वित नहीं	अस्वीकृत
समिति ने प्रतिवर्ष 5 दिन के आकस्मिक अवकाश की भी सिफारिश की है।	कार्यान्वित	
180 दिन तक के अवकाश को जमा करने तथा इसे भुनाने (छुट्टी के बदले नकद भुगतान) की सुविधा प्रारंभ करने की सिफारिश की गई है।	कार्यान्वित नहीं	अस्वीकृत
नियोजन की ऑनलाइन प्रणाली प्रारंभ करने की सिफारिश की गई है।	कार्यान्वित	

जीडीएस कार्मिकों की सीधी भर्ती के लिए अधिकतम 50 वर्ष की आयु सीमा को समाप्त किए जाने की सिफारिश की गई है।	कार्यान्वित	
विभागीय संवर्ग जैसे एमटीएस/पोस्टमैन/मेल गार्ड हेतु सीधी भर्ती के लिए जीडीएस के रूप में न्यूनतम एक वर्ष की सेवा हेतु सिफारिश की गई है।	कार्यान्वित	
जीडीएस कार्मिकों के नियोजन हेतु जीवनयापन के वैकल्पिक स्रोत की अनिवार्य शर्त को शिथिल किए जाने की सिफारिश की गई है।		
स्वैच्छिक सेवामुक्ति की योजना की सिफारिश की गई है।		
सेवामुक्ति की आयु 65 वर्ष ही रखे जाने की सिफारिश की गई है।		
पुरूष जीडीएस कार्मिकों के लिए सीमित स्थानान्तरण सुविधा को 1 बार से बढ़ाकर 3 बार किए जाने की सिफारिश की गई है। महिला जीडीएस कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु मिलने वाले अवसरों की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। स्थानान्तरण संबंधी अधिकार, संबंधित डिवीजनल प्रमुख को प्रदान किए जाने की सिफारिश की गई है।	जीडीएस कार्मिकों के	
पुट ऑफ अवधि के दौरान अनुग्रह भुगतान की राशि को भत्ते के 25% से बढ़ाकर 35% करने तथा पुट ऑफ अवधि के ठीक पहले के मंहगाई भत्ते तक करने की सिफारिश की गई है।	गैर-कार्यान्वित	जांच की जा रही है।
समिति ने जीडीएस कार्मिकों को पुटऑफ इयूटी करने की जगह पहले उन्हें स्थानान्तरित किए		

जाने की सिफारिश की है।	आधार पर स्थानांतरण हेतु प्रावधान किया गया है।
जीडीएस कार्मिकों की अनुकंपा नियुक्ति संबंधी शर्तों को इस प्रकार शिथिल करने की सिफारिश की गई है ताकि किसी जीडीएस कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने की स्थिति में पात्र आश्रितों को लाभ दिया जा सके।	कार्यान्वित

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF COMMUNICATIONS DEPARTMENT OF POSTS

LOK SABHA STARRED QUESTION NO. 240 TO BE ANSWERED ON 4TH AUGUST, 2021

GRAMEEN DAK SEVAKS

*240. SHRI C.N. ANNADURAI: SHRI DHANUSH M. KUMAR:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

- (a) the number of Grameen Dak Sevaks (GDS) presently employed in the country, State/UT-wise including Tamil Nadu and Maharashtra;
- (b) whether there is shortage of GDS across the country and if so, the details thereof including the number of vacant posts of GDS, State/UT-wise including Tamil Nadu and Maharashtra;
- (c) whether the services rendered by GDS are beneficial to rural populace and if so, the details thereof;
- (d) whether pay/remuneration of GDS has not been increased as per the recommendations of Seventh Pay Commission, if so, the details thereof and the reasons therefor;
- (e) whether the Government had constituted any committee to look into the salary structure, other service matters and problems of GDS, if so, the details and the major recommendations thereof; and
- (f) whether the Government has implemented the recommendations of the aforesaid committee, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF RAILWAYS, COMMUNICATIONS & ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI ASHWINI VAISHNAW)

(a) to (f) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT TO BE LAID ON THE TABLE OF THE LOK SABHA IN RESPECT OF PARTS (a) TO (f) OF LOK SABHA STARRED QUESTION NO. 240 FOR ANSWER ON 4TH AUGUST, 2021 REGARDING "GRAMEEN DAK SEVAKS"

- (a) The number of Gramin Dak Sevaks (GDS) presently employed in the country including Tamil Nadu and Maharashtra are 2,37,441. The State/UT-wise details are at **Annexure-I**.
- (b) Vacancies of GDS occur on continuous basis across the country due to various reasons viz. discharge of GDS on attaining 65 years of age, death, voluntary discharge, attrition, absorption into Department on promotion etc. The number of vacant posts of GDS, State/UT-wise including Tamil Nadu and Maharashtra is at **Annexure-II.** Filling up of GDS vacancies is a continuous process, which is undertaken through laid down GDS online engagement process.
- (c) Yes Sir. Gramin Dak Sevaks render a number of mail and financial services which meet the requirement of rural populace and are beneficial to them. These inter-alia include running of Branch Post Offices in rural areas and providing services like sale of stamps, booking and delivery of mail articles including Speed Post, booking and delivery of e-money orders, all transactions related to various Post Office Savings Schemes including Sukanya Samriddhi Yojana and of Rural Postal Life Insurance Schemes & Postal Life Insurance Schemes, and services of India Post Payments Bank which include door step banking, AEPS based withdrawals from bank accounts, submission of Digital Life Certificate etc.
- (d) No Sir. Gramin Dak Sevaks do not come under the purview of Pay Commission. The Gramin Dak Sevaks are holders of civil posts, but are outside the regular civil service. Seventh Pay Commission recommendations are, therefore not applicable to GDS. They work for a minimum of four hours and a maximum of five hours a day. This work is part time in nature and for this work they are paid Time Related Continuity Allowance (TRCA).
- (e) Yes Sir. A Kamlesh Chandra Committee was set up vide resolution No. 17-13/2013-GDS dated 19th November, 2015 by the Government of India for examining the conditions of service, emoluments and other facilities available to the Gramin Dak Sevaks. The Terms of Reference of the Committee included the following: -
 - (i) To examine the system of Branch Post Offices, employment conditions and the existing structure of wage and emoluments paid to the Gramin Dak Sevaks and recommend necessary changes;
 - (ii) To review the existing Service Discharge Benefit Scheme/other social security benefits for the GDS employees and suggest necessary changes;
 - (iii) To review the existing facilities/welfare measures provided to the Gramin Dak Sevaks and suggest necessary changes;
 - (iv) To examine and suggest any changes in the method of recruitment, minimum qualification for appointment as Gramin Dak Sevaks and their conduct and disciplinary rules, particularly keeping in view the proposed induction of technology in the Rural Post Offices.

The Committee submitted its report on 24.11.2016. Details of Major recommendation are at **Annexure-III**.

(f) The major recommendations of the Committee have been accepted and implemented by the Department. Some of the recommendations have not been accepted due to reasons that included extra financial burden on the Government and certain recommendations being at variance from the policy guidelines of the Government. Details are at **Annexure-IV**.

Annexure referred to in reply to Part (a) of Lok Sabha Starred Question No.240 for 04.08.2021 regarding Grameen Dak Sevaks.

The State-wise information on number of GDS presently employed including Tamil Nadu and Maharashtra is as under: -

Name of State	Number of GDS presently employed
Andhra Pradesh	16001
Arunachal Pradesh	413
Assam	6878
Bihar	14221
Chhattisgarh	6203
Goa	318
Gujarat	12861
Haryana	3449
Himachal Pradesh	5702
Jharkhand	5961
Karnataka	13141
Kerala	9303
Madhya Pradesh	11808
Maharashtra	17591
Meghalaya	877
Manipur	1787
Mizoram	962
Nagaland	783
Odisha	15277
Punjab	5557
Rajasthan	13086
Sikkim	408
Tamilnadu	18959
Telangana	8174
Tripura	1083
Uttar Pradesh	22689
Uttarakhand	5272
West Bengal	15973
Total	2,34,737

The Union Territory-wise information on number of GDS presently employed is as under:

Name of the Union Territory	Number of GDS presently employed
Andaman and Nicobar Islands	140
Chandigarh	32
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	76
NCT of Delhi	146
Jammu & Kashmir	2044
Ladakh	127
Lakshadweep	09
Pondicherry	130
Total	2704
Grand Total (234737+ 2704)=	2,37,441

Annexure referred to in reply to Part (b) of Lok Sabha Starred Question No.240 for 04.08.2021 regarding Grameen Dak Sevaks.

The State-wise information on number of vacant posts of GDS including Tamil Nadu and Maharashtra is as under: -

Name of State	Vacant post of GDS
Andhra Pradesh	3204
Arunachal Pradesh	164
Assam	2089
Bihar	1940
Chhattisgarh	1959
Goa	74
Gujarat	3868
Haryana	1012
Himachal Pradesh	962
Jharkhand	2582
Karnataka	3572
Kerala	2899
Madhya Pradesh	4761
Maharashtra	4819
Meghalaya	284
Manipur	44
Mizoram	129
Nagaland	91
Odisha	3253
Punjab	1173
Rajasthan	3246
Sikkim	99
Tamilnadu	4691
Telangana	3147
Tripura	603
Uttar Pradesh	14519
Uttarakhand	1377
West Bengal	5647
Total	72,208

The Union Territory-wise information on number of vacant posts of GDS is as under: -

Name of the Union Territory	Vacant post of GDS
Andaman and Nicobar Islands	74
Chandigarh	19
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	23
NCT of Delhi	352
Jammu & Kashmir	716
Ladakh	19
Lakshadweep	0
Pondicherry	41
Total	1244
Grand Total (72,208 +1244)	73,452

Annexure referred to in reply to Part (e) of Lok Sabha Starred Question No. 240 for 04.08.2021 regarding Grameen Dak Sevaks.

Extract of Major recommendations of Kamlesh Chandra Committee Report.

1. The old system of payment of Time Related Continuity Allowance)TRCA (is recommended to be dispensed with and replaced with a new wage payment system. Under the new wage payment system, 11 TRCA slabs are recommended to be subsumed into 3 Wage Scales with two Levels each for BPMs and for other than BPMs. One wage scale is recommended to be common for both the categories of GDSs.

Recommended New Wage Scale

- a. 10,000 -24,470)Other than BPM Level-I(
- b. 12,000- 29,380)Other than BPM Level 2 & BPM Level 1(
- c. 14,500 -35,480)BPM Level 2 (
- 2. The minimum working hours of GDS Post Offices and GDSs are recommended to be increased to 4 hours from 3 hours.
- 3. The new working hours for GDS Post Offices are recommended to be 4 hours and 5 hours only.
- 4. The Level 1 GDS Post Offices/GDSs are recommended to be 4 hours as working hours and Level –2 are recommended 5 hours as working hours.
- 5. The Point System for assessment of workload of BPMs is recommended to be abolished.
- 6. The new wage payment system is recommended to be linked to revenue generation of GDS Post Offices .Under the new system it is proposed that there will be no increase in wages of BPMs from Level -1 to Level -2 on the basis of workload but the same are recommended to be increased based on achievement of prescribed revenue norms which to be is fixed at 100%for normal areas and 50%for special areas which presently have 15% anticipated income norms.
- 7. The GDS Post Offices not achieving the prescribed revenue norm within the given working hours are recommended to be opened for minimum of additional 30 minutes beyond the prescribed working hours.
- 8. The GDS BPMs are recommended to be paid Revenue Linked Allowance @10 %beyond level-2 wage scale in case they are successful in achieving revenue beyond prescribed norms.
- 9. The GDS Post Offices are recommended to be categorized into A, B, C and D categories based on the revenue generation norms .The GDS Post Office in A category should be

- able to achieve 100 %revenue .The Committee has recommended a set of actions for each category of GDS Post Offices.
- 10. The six approved categories of GDSs are recommended to be subsumed into two categories only .One category is recommended to be of Branch Post Master and all other 5 categories of GDSs are recommended to be subsumed into one Multi-Tasking Category.
- 11. The job profile of Multi-Tasking GDS is recommended to be expanded to include work such as Business Development and Marketing etc .Their jobs should no more be confined to their old designations .The Assistant BPM should assist BPMs for increasing revenue generation.
- 12. The GDSs working in the GDS Post Offices are recommended to be known as Assistant Branch Post Masters)ABPMs (and those working in the Departmental Post Offices are recommended to be known as Dak Sevaks)DS).
- 13. The minimum wage is recommended to be increased to Rs.10000-/per month and maximum pay to Rs.35480-/per month.
- 14. The rate of annual increase is recommended as 3.%
- 15. A Composite Allowance comprising of support for hiring accommodation for GDS Post Offices as well as mandatory residence, office maintenance, mobile and electricity usage charges etc .has been recommended to be introduced for the first time.
- 16. Children Education Allowance @Rs.6000 -/per child per annum is recommended to be introduced for GDSs.
- 17. Risk & Hardship Allowance @Rs.500 -/per month for GDS working in the special areas has also been recommended.
- 18. A Financial up-gradation has been recommended to be introduced at 12 years, 24 years and 36 years of services in form of two advance additional annual increases.
- 19. The Ceiling of ex-gratia gratuity has been recommended to be increased from Rs. 60,000 to Rs.5,00,000.-/
- 20. The GDS Contribution for Service Discharge Benefit Scheme)SDBS (is reccommended to be enhanced to between a range of a minimum of 3% to a maximum of 10 %of the basic wage per month, whereas the Department should contribute a fixed contribution of 3 %of the basic wage of the GDSs.
- 21. The coverage of GDS Group Insurance Scheme has been recommended to be enhanced from Rs.50000 -/to Rs.5,00,000.-/
- 22. The contribution of Department in Circle Welfare Fund)CWF (has been recommended to be increased from Rs.100-/per annum to Rs.300-/per annum.

- 23. The scope of CWF is recommended to be extended to cover immediate family members such as spouse; daughters, sons and dependent daughters in law in the scheme.
- 24. The Committee also recommended 10 %hike in the prescribed limits of financial grants and assistances in the Circle Welfare Funds.
- 25. The Committee has recommended addition of Rs. 10,000-/for purchase of Tablet/Mobile from the Circle Welfare under the Head "Financial Assistance of Fund by way of loans with lower rate of interest)5(%".
- 26. Provision of 26 weeks of Maternity Leave for women GDS has been recommended.
- 27. The wages for the entire period of Maternity Leave is recommended to be paid from salary head from where wages of GDSs are paid.
- 28. The Committee has also recommended one week of Paternity leave.
- 29. The Committee has recommended 5 days of emergency leave per annum.
- 30. Leave accumulation and encashment facility up to 180 days has been recommended to be introduced.
- 31. Online system of engagement has been recommended.
- 32. The maximum age limit of 50 years for Direct Recruitment of GDSs has been recommended to be abolished.
- 33. Minimum one year of GDS service is recommended for Direct Recruitment into Departmental cadre such as MTS/Postman/Mail Guard.
- 34. Alternate livelihood condition for engagement of GDSs has been recommended to be relaxed.
- 35. Voluntary Discharge scheme has been recommended.
- 36. The Discharge age has been recommended to be retained at 65 years.
- 37. The Limited Transfer Facility has been recommended to be relaxed from 1 time to 3 times for male GDSs. There should be no restriction on number of chances for transfer of women GDSs. The powers for transfer has been recommended to be delegated to the concerned Divisional head.
- 38. The ex-gratia payment during put off period is recommended to be revised to 35 %from 25 %of the wage and DA drawn immediately before put off.
- 39. The Committee has recommended preferring transfer before put off duty.
- 40. The Compassionate Engagement of GDSs has been recommended to be relaxed to give benefits to eligible dependents in all cases death of GDS while in service.

Annexure referred to in reply to Part (f) of Lok Sabha Starred Question No. 240 for 04.08.2021 regarding Grameen Dak Sevaks.

Details of Recommendations implemented, Not Implemented and Under Examination is as under: -

under: -	T1	D()
Major recommendation in brief.	Implemented/Not implemented	Reason(s) of non-implementation
The old system of payment of Time Related Continuity Allowance (TRCA)is recommended to be dispensed with and replaced with a new wage payment system. Under the new wage payment system, 11 TRCA slabs are recommended to be subsumed into 3 Wage Scales with two Levels each for BPMs and for other than BPMs. One wage scale is recommended to be common for both the categories of GDSs.	Implemented.	
Recommended New Wage Scale		
10,000 -24,470 (Other than BPM Level 1)		
12,000 -29,380 (Other than BPM Level 2 & BPM Level 1)		
14,500 -35,480 (BPM Level 2)		
The minimum working hours of GDS Post Offices and GDSs are recommended to be increased to 4 hours from 3 hours.	Implemented.	
The new working hours for GDS Post Offices are recommended to be 4 hours and 5 hours only.	Implemented.	
The Level 1 GDS Post Offices/GDSs are recommended to be 4 hours as working hours and Level –2 are recommended 5 hours as working hours.	Implemented.	
The Point System for assessment of workload of BPMs is recommended to be abolished.	Not implemented.	Under examination.
The new wage payment system is recommended to be linked to revenue generation of GDS Post Offices. Under the new system, there should be no increase in wages of BPMs from Level -1 to Level -2 on the basis of workload but the same are recommended to be increased based on achievement of prescribed revenue norms which to be is fixed at 100% for normal areas and 50% for special areas which presently have 15% anticipated income norms.	Not implemented.	Under examination.
The GDS Post Offices not achieving the prescribed revenue norm within the given working hours are recommended to be opened for minimum of additional 30 minutes beyond the prescribed working hours.	Not implemented.	Under examination.
The GDS BPMs are recommended to be paid Revenue Linked Allowance @10% beyond level-2 wage scale in case they are	Not implemented.	Under examination.

successful in achieving revenue beyond prescribed norms.		
The GDS Post Offices are recommended to be categorized into A, B, C and D categories based on the revenue generation norms. The GDS Post Office in A category should be able to achieve 100% revenue. The Committee has recommended a set of actions for each category of GDS Post Offices.	Not implemented.	Under examination.
The six approved categories of GDSs are recommended to be subsumed into two categories only. One category is recommended to be of Branch Post Master and all other 5 categories of GDSs are recommended to be subsumed into one Multi-Tasking Category.	Implemented.	
The job profile of Multi-Tasking GDS is recommended to be expanded to include work such as Business Development and Marketing etc. Their jobs should no more be confined to their old designations. The Assistant BPM should assist BPMs for increasing revenue generation.	Implemented.	
The GDSs working in the GDS Post Offices are recommended to be known as Assistant Branch Post Masters(ABPMs)and those working in the Departmental Post Offices are recommended to be known as Dak Sevaks (DS).	Implemented.	
The minimum wage is recommended to be increased to Rs.10000/-per month and maximum pay to Rs.35480/-per month.	Implemented.	
The rate of annual increase is recommended as 3%.	Implemented.	
A Composite Allowance comprising of support for hiring accommodation for GDS Post Offices as well as mandatory residence, office maintenance, mobile and electricity usage charges etc. has been recommended to be introduced for the first time.	Implemented.	
Children Education Allowance @Rs. 6000/-per child per annum is recommended to be introduced for GDSs.	Implemented.	
Risk & Hardship Allowance @Rs.500/- per month for GDS working in the special areas has also been recommended.	Implemented.	
A Financial up-gradation has been recommended to be introduced at 12 years, 24 years and 36 years of services in form of two advance additional annual increases.	Not implemented.	Under examination.
The Ceiling of ex-gratia gratuity has been recommended to be increased from Rs.60,000 to Rs.5,00,000/	Implemented. Ceiling enhanced to 1.5 lakhs.	
The GDS Contribution for Service Discharge Benefit Scheme (SDBS) is reccommended to be enhanced to between a range of a minimum of 3% to a maximum of 10% of the basic wage per month, whereas the Department should contribute a fixed contribution of 3% of the basic wage of the GDSs.	Implemented. GDS contribution enhanced from Rs. 200 to Rs. 300 and matching contribution of the Government of Rs.300.	
The coverage of GDS Group Insurance Scheme has been	Not implemented.	Under

recommended to be enhanced from Rs.50000/- to Rs.5,00,000/		examination.
The contribution of Department in Circle Welfare Fund (CWF)has been recommended to be increased from Rs.100/-per annum to Rs.300/- per annum.	Not implemented.	Under examination.
The scope of CWF is recommended to be extended to cover immediate family members such as spouse; daughters, sons and dependent daughters in law in the scheme.	Not implemented.	Under examination.
The Committee also recommended 10% hike in the prescribed limits of financial grants and assistances in the Circle Welfare Funds.	Not implemented.	Under examination.
The Committee has recommended addition of Rs. 10,000/-for purchase of Tablet/Mobile from the Circle Welfare under the Head "Financial Assistance of Fund by way of loans with lower rate of interest (5%)".	Not implemented.	Under examination.
Provision of 26 weeks of Maternity Leave for women GDS has been recommended.	Implemented. Provision of 180 days of maternity leave to Female GDS.	
The wages for the entire period of Maternity Leave is recommended to be paid from salary head from where wages of GDSs are paid.	Implemented.	
The Committee has also recommended one week of Paternity leave.	Not implemented.	Rejected.
The Committee has recommended 5 days of emergency leave per annum.	Implemented .	
Leave accumulation and encashment facility up to 180 days has been recommended to be introduced.	Not implemented.	Rejected
Online system of engagement has been recommended.	Implemented.	
The maximum age limit of 50 years for Direct Recruitment of GDSs has been recommended to be abolished.	Implemented.	
Minimum one year of GDS service is recommended for Direct Recruitment into Departmental cadre such as MTS/Postman/Mail Guard.	Implemented.	
Alternate livelihood condition for engagement of GDSs has been recommended to be relaxed.	Implemented.	
Voluntary Discharge scheme has been recommended.	Implemented.	
The Discharge age has been recommended to be retained at 65 years.	Implemented.	
The Limited Transfer Facility has been recommended to be relaxed from 1 time to 3 times for male GDSs. There should be no restriction on number of chances for transfer of women GDSs. The powers for transfer has been recommended to be delegated to the	Implemented. 3 Chances for Female GDS and 2 chances for	

concerned Divisional head.	Male GDS.	
The ex-gratia payment during put off period is recommended to be revised to 35% from 25% of the wage and DA drawn immediately before put off.	Not implanted.	Under examination.
The Committee has recommended preferring transfer before put off duty.	Implemented. A provision has been made for transfer on administrative/vig ilance grounds.	
The Compassionate Engagement of GDSs has been recommended to be relaxed to give benefits to eligible dependents in all cases death of GDS while in service.	Implemented.	
